न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल संभाग बासौदा जिला विदिशा मध्यप्रदेश

निगरानी 1439-I-15 प्रकरण कंमाक .....

जगदीश अवयस्क आत्मज श्री गनेशराम जाति नाई

नैसर्गिक संरक्षक गनेशराम आयु – वयस्क निवासी –

ग्राम – कांचरोद तहसील बासौदा. जिला विदिशा ..... आवेदक

विरूद्ध

1. तखत सिंह आत्मज बालाराम जाति रघुवंशी – व्यस्क
2. श्रीमति गुडडीबाई पत्नि तखत सिंह आयु – वयस्क

निवासीगण – ग्राम कांचरोद तहसील बासौदा
जिला विदिशा म.प्र. ..... अनावेदकगण

निगरानी अतंर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनॉक 30.04.15 अंतर्गत प्रकरण कंमाक 20 अपील/2014 – 2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय संभाग बसौदा जिला विदिशा पक्षकारगण तखत सिंह व अन्य विरूद्ध जगदीश अवयस्क

1. यह कि आवेदक के स्वत्व और स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम कांचरोद खसरा कंमाक – 152/1/3 रकबा 0.627 हैक्टयर भूमि तहसील बासौदा जिला विदिशा में स्थित है। जिसे आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय किया गया है। तथा विकय पत्र में उल्लेखित चर्तुथ सीमाये के अनुसार ही आवेदक का उक्त भूमि पर शंतिपूर्ण आधिपत्य विधमान है।

2. यह कि आवेदक द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय के पकरण कंमाक – 60/अ–3 /12–13के आदेश दिनॉक 20.09.13 के विरूद्व एक 20/अपील/2014–2015 अनुविभागीय अधिकारी महोदय बासौदा जिला विदिशा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। जिसमें आवेदक द्वारा धारा 05 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी। जो माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी विधिक कारण से निरस्त कर दी गई है।

निगरानी के आधार

1. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान तथा प्रकिया के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि उक्त प्रकरण में आवेदक एक अवयस्क बालक होने के साथ विधि से अनभिग्न होने से उसके द्वारा किया गया विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। जिस समय माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण कंमाक 44/अपील/11–12 आदेश दिनॉक 20.09.13 में आदेश पारित किये गये थे उस समय आवेदक अवयस्क था । तथा ऐसी स्थिति में उसके अधिकारो की सरक्षा का दायित्व माननीय अधीनस्थ न्यायालय पर था इस कारण माननीय अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण का निराकरण गुण –दोषो के आधार पर किया जाना चाहिये था। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

..... 02 ....

3. यह प्रकरण में मूल रूप से विधि का प्रश्न निहित हैं जो कि माननीय तहसीलदार महोदय बासौदा द्वारा प्रकरण कंमाक 42/अ–27/11–12 की आदेश पत्रिका 19.11.11 के पैरा कंमाक – 06 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि **उपरोक्त चारो रजिस्ट्री देखने से ज्ञात होता है कि उक्त भूमि की जितनी रकबा खसरा में दर्ज है उससे ज्यादा भूमि का रिकार्ड दोनो पक्ष को मिलाकर है।** ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि विधि का प्रश्न निहित है।

4. यह कि विधि का सिद्वांत है कि विलम्ब के प्रश्न पर न्यायालय का रूख बहुत ही नरम होना चाहिये ताकि विवाद का निराकरण गुण –दोषो के आधार पर किया जा सके ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि उक्त निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निर्धारित समय सीमा के भीतर उचित न्यायाशुल्क के साथ प्रस्तुत कि जा रही है।

6. यह कि उक्त निगरानी के श्रवणधिकार तथा निराकरण का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन – पत्र को स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का गुण –दोष के आधार पर निराकरण करने के आदेश पारित किये जाये जो न्यायहित मेंउचित होगा।

स्थान – भोपाल
दिनॉक – 27.05.16

आवेदक
द्वारा
अधिवक्ता

R 1439, I/15 (विविध)

10/3/16

आवेदक अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह ठाकुर एवं अनावेदक अधि. श्री रमेश सक्सेना उप.

आवेदक अधि. ने प्रका. आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उक्त मूलवाद निगरानी पेश की गई है इसलिए उसे सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापिस की जावे। अना. अधि. को कोई आपत्ति नहीं है। विचारोपरांत आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल निगरानी आवेदन को सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापिस की जावे। यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो

(हस्ताक्षर)

U.T.
Ramesh Saxena
Adv. Bhopal
N/A 1 & 2

नरपत सिंह

मूल प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने बावत वापस प्राप्त किया [illegible]